संख्या– 77 /1–10––33(160)/2010

प्रेषक,

के0 के0 सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

जिलाधिकारी,
सहारनपुर।

राजस्व अनुभाग–10 **लखनऊः दिनांकः 12 जनवरी, 2011**

विषय : वर्ष 2010 की बाढ़ में लगाए गए हेलीकाप्टर के किराए के भुगतान हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जनपद सहारनपुर में आयी बाढ़ के समय जनपद में सर्वे हेतु लगाए गए हेलीकाप्टर के किराए के भुगतान हेतु राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्यासा में रू0 2,79,000/– (रूपये दो लाख उन्यासी हजार मात्र) की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2 उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक " 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03– आपदा निधि से व्यय–42–अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त धनराशि का व्यय वर्ष 2010 में जनपद में आयी बाढ़ के समय लगाए हेलीकाप्टर के किराए के भुगतान पर नियमानुसार की जायेगी।

4. शासन द्वारा स्वीकृति धनराशि में से यदि बचत संभव हो तो उन्हें दिनांक 31मार्च, 2011 से पूर्व आपदा राहत निधि के नाम से बने बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से शासन को अनिवार्य रूप से समर्पित कर दिया जायेगा।

5. आपदा राहत निधि से स्वीकृति धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित कार्यो हेतु ही किया जाय। किसी अन्य विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी, विजनौर यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिए किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि प्राप्त न हुई हो।

क्रमः–2– पर